शहरी विकास हेतु संचालित केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजना

प्रश्न - उत्तर

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर

शहरी विकास हेतु संचालित केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजना

प्रश्न – उत्तर

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर

इस पुस्तिका के किसी भी भाग की छायाप्रति ऐसे शैक्षणिक कार्यो के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, जिसका आशय लाभ कमाना नहीं है।

संपादन – डॉ. अशोक जायसवाल

सहयोग – सर्वेश कुमार तिवारी
महेश कुमार सरादे

प्रकाशक – **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान**
पोस्ट – निमोरा
रायपुर –492015
छत्तीसगढ़

विवरणिका

क.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रस्तावना	1
2	प्रतीक्षा बस स्टैन्ड योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 1 से 9 तक)	2
3	मुक्तिधाम निर्माण योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 10 से 17 तक)	7
4	सार्वजनिक प्रसाधन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 18 से 26 तक)	10
5	पुष्पवाटिका उद्यान योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 27 से 35 तक)	14
6	उन्मुक्त खेल मैदान योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 36 से 41 तक)	17
7	सरोवर धरोहर योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 42 से 46 तक)	19
8	गोकुल नगर योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 47 से 53 तक)	21
9	ट्रांसपोर्ट नगर योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 54 से 61 तक)	23
10	बाबा गुरुघासीदास झुग्गी बस्ती उत्थान योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 62 से 67 तक)	26
11	ज्ञानस्थली योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 68 से 74 तक)	29
12	अटल आवास योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 75 से 83 तक)	32
13	पंडित सुन्दर लाल शर्मा, सफाई कामगार आवास योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 84 से 88 तक)	35
14	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 89 से 94 तक)	37
15	मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 95 से 98 तक)	39

16	मुख्यमंत्री श्रमवीर कल्याण योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 99 से 103 तक)	41
17	श्यामाप्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 104 से 108 तक)	43
18	दीनदयाल स्वालंबन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 109 से 104 तक)	45
19	वाल्मिकी आम्बेडकर आवास योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 115 से 125 तक)	47
20	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 126 से 131 तक)	51
21	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 132 से 154 तक)	54
22	शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 155 से 160 तक)	61
23	राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (प्रश्न क्रमांक 161 से 166 तक)	64

// प्रस्तावना //

संविधान के 74 वें संशोधन के पश्चात् गरीबी उपशमन नगरीय निकायों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। संविधान के 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों को जो कर्तव्य सौंपे गये हैं, उनमें आर्थिक व सामाजिक विकास की योजना तथा नगरीय निर्धनता उन्मूलन सम्मिलित है। इन्हीं के अनुरुप नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 124 तथा नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 67 में भी यही प्रावधान किये गये हैं।

केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा अनेक ऐसी केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनायें चलाई जा रही हैं, जो गरीबों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिये महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं की जनता एवं जनप्रतिनिधियों को जानकारी होना जरुरी है, ताकि वे अपने क्षेत्र के गरीब, जरुरतमंद और पात्र परिवारों को इन योजनाओं का लाभ दिला सके।

राज्य प्रायोजित योजना
प्रतीक्षा बस स्टैंड़ योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 1. प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर :– प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना का उद्देश्य बसों की प्रतीक्षा के लिए विश्रामालय, टिकट घर, पेयजल, टायलेट, रिक्शा / आटो स्टैंड, पुलिस सहायता केन्द्र, आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानें तथा बसों के रुकने एवं सरकुलेशन की उचित व्यवस्था के उद्देश्य से यह योजना लागू की गयी है।

प्रश्न 2. प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के अंतर्गत कौन–कौन से कार्य किये जाने हैं ?

उत्तर :– प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :–

(i) बस स्टैंण्ड और प्लेटफार्म निर्माण।

(ii) यात्री प्रतीक्षालय भवन निर्माण, टैक्सी, रिक्शा, सायकल, स्कूटर, पार्किंग स्थल का निर्माण।

(iii) पेयजल, टायलेट, टिकट घर तथा अन्य सुविधा।

(iv) व्यवसायिक परिसर का निर्माण।

(v) पहुॅच हेतु आवश्यकतानुसार सड़क, नाली एवं पुलिया निर्माण, प्रकाश व्यवस्था।

(vi) पेयजल व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल / पेयजल स्थापना आदि।

प्रश्न 3.	प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना का स्वरुप क्या है ?
उत्तर :–	योजना के अंतर्गत बस स्टैड के समीप, उसी परिसर में, उचित स्थान का चयनकर व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जायेगा, जिससे प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग संबंधित नगरीय निकायों के द्वारा बस स्टैड भवन परिसर के रख–रखाव एवं संधारण तथा परिसम्पत्तियों के निर्माण में किया जाएगा।
प्रश्न 4.	प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को कितनी राशि प्रदान की जायेगी ?
उत्तर :–	प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम की स्थिति में अधिकतम 50 लाख रुपये दिये जायेंगे, जिसमें 30 लाख रुपये बस स्थानक की लागत एवं 20 लाख रुपयें दुकानों की लागत होगी। नगर पालिका परिषद् की स्थिति में अधिकतम 33 लाख रुपये दिये जायेगें, जिसमें 20 लाख रुपये बस स्थानक की लागत तथा 13 लाख रुपये दुकानों की लागत होगी। नगर पंचायत की स्थिति में अधिकतम 17 लाख रुपये दिये जायेंगे, जिसमें 10 लाख रुपये बस स्थानक की लागत एवं 7 लाख रुपये दुकानों की लागत होगी।
प्रश्न 5.	प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि कितने किस्तों में जारी की जायेगी।
उत्तर :–	प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा दो किस्तों में जारी की जायेगी। प्रथम किश्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अगली किश्त जारी की जायेगी।

प्रश्न 6. प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के अंतर्गत अनुदान कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर :– प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा –

(i) निकाय के महापौर–परिषद् / अध्यक्ष–परिषद् / परिषद् का संकल्प।

(ii) चयनित भूमि का निकाय के आधिपत्य में होने के प्रमाण पत्र में खसरा भू–अभिलेख।

(iii) तकनीकी प्रतिवेदन जिसमें स्थल की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित कार्यो का तथा विधुत एवं पेयजल व्यवस्था टीप देते हुए संलग्न किया जाना होगा।

(iv) योजना के संबंध में प्रचलित नियमों के अंतर्गत वैधानिक स्वीकृति निकाय द्वारा प्राप्त की जानी होगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्णकर, आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी अर्द्वशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

प्रश्न 7 प्रतीक्षा बस स्टैंड परिसर के रख–रखाव एवं संधारण हेतु राज्य शासन द्वारा कितनी राशि प्रदान की जायेगी ?

उत्तर :– प्रतीक्षा बस स्टैंड निर्माण के उपरांत बस स्टैंड स्थल के उचित रख–रखाव हेतु एक पॉच सदस्यीय समिति का गठन निकाय के महापौर / अध्यक्ष अपने विवेक से कर सकते हैं। इस

समिति में आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं निकाय अभियंता स्थायी सदस्य हो सकते हैं। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था चूँकि निजी क्षेत्रों में संचालित हो रही है। इसलिए व्यवसायिक उपक्रमों से होने वाली आय से सधारण की कार्यवाही की जायेगी। इस राशि का निर्धारण महापौर–परिषद् / अध्यक्ष–परिषद् द्वारा किया जाएगा।

प्रश्न 8 प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के अंतर्गत लेखा संधारण किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर :– प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण नोडल एजेन्सी होगी। राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किये गये नियम के अनुसार लेखाओं का संधारण निकाय स्तर पर प्रत्येक संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा, साथ ही निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर आगामी किस्तों का निर्गमन किया जा सकेगा।

प्रश्न 9. प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का क्या किसी अन्य योजना में उपयोग किया जा सकता है ?

उत्तर :– नही, इस योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग किसी अन्य योजना में नही किया जा सकता। इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जायेगी इसका उपयोग केवल इसी योजना के लिए किया जायेगा। इस खाता में प्राप्त होने वाली ब्याज

की राशि भी इसी योजना का भाग मानी जायेगी ।

प्रश्न 10. प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा भौतिक लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है ?

उत्तर :– इस योजना के क्रियान्वयन लिए राज्य शासन द्वारा नगरपालिक निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत की स्थिति में क्रमशः प्रत्येक में एक–एक का भौतिक लक्ष्य रखा गया है।

मुक्तिधाम निर्माण योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 11. मुक्तिधाम निर्माण योजना क्या है कितने शहरों में यह लागू है ?

उत्तर :– मुक्तिधाम निर्माण योजना प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मृतकों की अंत्येंष्टि के लिए नई सुविधाओं के निर्माण की योजना है। यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू है।

प्रश्न 12. मुक्तिधाम निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर :– इस योजना का उद्देश्य सीमित संसाधनों तथा रख–रखाव के अभाव में उपलब्ध स्थल में आवश्यक सुविधाओं के ना होने के कारण नये स्थानों में सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर शासन द्वारा मुक्तिधाम निर्माण योजना प्रारंभ की गई है।

प्रश्न 13. मुक्तिधाम निर्माण योजना के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत की स्थिति में कितनी राशि प्रदान की जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक मुक्तिधाम हेतु अधिकतम परियोजना लागत नगर निगम के मामले में रु. 12 लाख, नगरपालिका के लिए रु. 10 लाख एवं नगर पंचायत के लिये रु. 8 लाख होगी।

प्रश्न 14. मुक्तिधाम निर्माण योजना के अंतर्गत कौन–कौन से कार्य किये जा सकते हैं ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्य किये जायेंगे :–

(i) योजनांतर्गत आवश्यकता अनुसार क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी. शेड, मुक्तिधाम

मैदान का विकास एवं स्टोरेज एरिया का निर्माण आदि कार्य।

(ii) उद्यान, पेयजल, विद्युतीकरण, शौचालय, चौकीदार कमरा का निर्माण।

(iii) वाहनों हेतु पार्किंग की व्यवस्था ।

(iv) क्रिमेशन रोड के चारों तरफ पेंविग का कार्य।

प्रश्न 15. मुक्तिधाम निर्माण योजना के लिए अनुदान की राशि कितनी किश्तों में जारी की जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण राशि दो किश्तों में नगरीय निकायों को जारी की जायेगी। दूसरी किश्त की राशि नगरीय निकाय को उस स्थिति में जारी की जायेगी, जब उसने अपनी पहली किश्त की राशि का उपयोग कर लिया हो और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो ।

प्रश्न 16. मुक्तिधाम निर्माण योजना के लिए भूमि का चयन किस प्रकार से किया जायेगा ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले मुक्तिधाम के लिए उपयुक्त भूमि का चयन आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा आवश्यक होने पर भूमि प्राप्त करने में जिला कलेक्टर (अध्यक्ष, डूडा) से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

प्रश्न 17. मुक्तिधाम निर्माण के पश्चात् उसका रख–रखाव किस प्रकार से किया जायेगा ?

उत्तर :– मुक्तिधाम निर्माण के पश्चात् स्थल के उचित रख–रखाव हेतु एक पॉच सदस्यीय समिति का गठन महापौर / अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

इस समिति में आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं निकाय के अभियंता स्थायी सदस्य होगें । निकाय द्वारा मुक्तिधाम संधारण की कार्यवाही स्वयं की निधि से की जावेगी तथा इसके रख–रखाव के लिये जनभागीदारी प्राप्त की जा सकेगी।

प्रश्न 18. मुक्तिधाम निर्माण योजना में लेखा का संधारण किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर :– इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि नगर विकास निधि से उपलब्ध की जायेगी। राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किए गए नियम अनुसार लेखाओं का संधारण संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा, साथ ही निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर आगामी किश्तों के निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जावेगी तथा केवल इसी योजना के लिए उपयोग में लायी जायेगी। खाता में प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि भी इस योजना का भाग माना जाएगा।

सार्वजनिक प्रसाधन योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 19. सार्वजनिक प्रसाधन योजना क्या है ?

उत्तर :– नगरों एवं नगरों की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले शौचालय–विहीन परिवारों एवं खुले क्षेत्र में शौच के लिए जाने वाले लोगों को नागरिक सुविधा सुलभ कराने तथा शहरों में बाहर से आने वाले कार्यशील लोगों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों / प्रसाधन की कमी को देखते हुए यह योजना लागू की गई है।

प्रश्न 20. सार्वजनिक प्रसाधन योजना का स्वरुप क्या है ?

उत्तर :– सार्वजनिक प्रसाधन योजना में जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के दो बड़े नगर निगम रायपुर एवं बिलासपुर में 8–8 तथा अन्य नगर निगमों में 7–7 प्रत्येक नगर पालिका परिषद् में 2–2 एवं प्रत्येक नगर पंचायत में एक सार्वजनिक प्रसाधनों का उपयुक्त स्थल पर निर्माण किया जायेगा।

प्रश्न 21. सार्वजनिक प्रसाधन योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रति ईकाई परियोजना लागत और सुविधाओं की संख्या क्या होगी ?

उत्तर :– सार्वजनिक प्रसाधन योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रति ईकाई परियोजना लागत एवं सुविधाओं की संख्या निम्न अनुसार होगी :–

(i) नगर पालिक निगम की स्थिति में प्रति ईकाई परियोजना लागत रु. 10.00 लाख तथा शौचालयों की संख्या 15, स्थानगृहों की संख्या 6 एवं मुत्रालयों की संख्या 5 होगी।

(ii) नगर पालिका परिषद् की स्थिति में प्रति ईकाई परियोजना लागत रु. 9.00 लाख तथा शौचालयों

की संख्या 10, स्थानगृहों की संख्या 5 एवं मुत्रालयों की संख्या 5 होगी।

(iii) नगर पंचायत की स्थिति में परियोजना लागत रु. 6.00 लाख तथा शौचालयों की संख्या 6, स्थानगृहों की संख्या 3 एवं मुत्रालयों की संख्या 3 होगी।

प्रश्न 22. सार्वजनिक प्रसाधन योजना के अंतर्गत निर्मित शौचालयों का निर्माण एवं संधारण किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर :– सार्वजनिक प्रसाधन योजना के अंतर्गत निर्माण एवं संधारण का कार्य अशासकीय संगठन (एन.जी.ओ.) के माध्यम से निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(i) मेयर–इन–काउंसिल/ प्रेसीडेन्ट–इन–काउंसिल (कामकाज संचालन) नियम के प्रावधानों के अधीन स्वीकृति तथा निर्माण की प्रकिया अपनाई जायेगी।

(ii) निर्माण एजेन्सी की नियुक्ति, कलेक्टर की अनुमति के आधार पर निकाय स्तर से की जायेगी । अशासकीय संगठन (एन.जी.ओ.) का चयन राज्य शासन के दिशा–निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

(iii) छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं एन.जी.ओ. के मध्य अनुबंध किया जायेगा ।

(iv) योजना अनुमान की राशि में आगामी 30 वर्षो के रख–रखाव की व्यवस्था ''पे एण्ड यूज'' के आधार पर होगी।

प्रश्न 23. सार्वजनिक प्रसाधन योजना के अंतर्गत अशासकीय संगठन (एन.जी.ओ.) का चयन किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर :– सार्वजनिक प्रसाधन योजना के अंतर्गत अशासकीय संगठन का चयन निविदा पद्वति द्वारा निर्माण कार्य, वर्क्स डिर्पाटमेन्ट मैनुअल का अनुपालन करते हुए निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(i) यदि निर्माण का कार्य, वर्क्स मैनुअल के आधार पर किसी ठेकेदार का चयन कर कराया जाता है तो नगरीय निकाय द्वारा शौचालयों के रख–रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, क्योंकि योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई राशि में आगामी 30 वर्षो की रख–रखाव की व्यवस्था ''पे एण्ड यूज'' के आधार पर सम्मिलित है।

(ii) यदि निर्माण कार्य के अनुबंध में तीस वर्ष के लिए रख–रखाव सम्मिलित नही है जो परियोजना लागत से 20 प्रतिशत राशि रख–रखाव हेतु मानकर कम करते हुए निविदा स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न 24. सार्वजनिक प्रसाधन योजना के अंतर्गत शासन द्वारा राशि किस प्रकार प्रदान की जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय को राशि शत प्रतिशत अनुदान के रुप में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा दो चरणों में उपलब्ध की जायेगी। द्वितीय किश्त की राशि नगरीय निकायों को तभी जारी की जायेगी जब प्रथम किश्त की राशि का उपयोग नगरीय निकाय द्वारा कर लिया गया हो ।

प्रश्न 25. सार्वजनिक प्रसाधन योजना के अंतर्गत कितने माह में कार्य पूर्ण होगा ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत निर्माण एजेन्सी का नगरीय निकाय से अनुबंध करने एवं कार्यादेश प्राप्त होने के 9 माह के अंदर निर्माण कार्यो को पूर्ण करेगी।

प्रश्न 26. सार्वजनिक प्रसाधन योजना का निर्माण अशासकीय संगठन (एन.जी.ओ.) द्वारा किया जा रहा है। इसलिये कार्य की गुणवत्ता कैसे ऑकी जायेगी ?

उत्तर :– सार्वजनिक प्रसाधन योजना में कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन नगरीय निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा एवं नगरीय निकाय द्वारा ही यह देखा जायेगा कि निर्माण कार्य वर्क्स डिपार्टमेन्ट मैनुवल में निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप हो रहा है या नही।

प्रश्न 27. सार्वजनिक प्रसाधन योजना में लेखा का संधारण किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर :– इस योजना में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किये गये नियम के अनुसार लेखाओं का संधारण निकाय स्तर पर प्रत्येक संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा। निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर आगामी किश्तों का निर्गमन किया जा सकेगा। इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जायेगी तथा केवल इसी योजना के लिए उपयोग में लायी जायेगी।

पुष्पवाटिका उद्यान योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

प्रश्न 28. पुष्प वाटिका उद्यान योजना क्या है ?

उत्तर :– नगरीय परिवेश में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नये उद्यान विकसित कर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने, जन–मानस को घूमने–फिरने, सैर करने, मनोरंजन तथा बच्चों के खेलने के लिए स्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु राज्य शासन द्वारा ''पुष्प वाटिका उद्यान योजना'' लागू की गई है।

प्रश्न 29. पुष्प वाटिका उद्यान योजना के अंतर्गत क्या स्थापित किया जायेगा ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत बालोद्यान की बाउन्ड्री, चेन लिंक, फेसिंग एवं सीमेन्ट पोल स्थापित की जा सकती है। इसका लाभ यह होगा की एक तरफ उद्यान की सुरक्षा दूसरी ओर हेजिंग लगाकर ग्रीनरी का आनंद बाहर से लिया जा सकेगा। नए उद्यानों में मैदान समतलीकरण एवं यदि आवश्यक हो तो मिट्टी बदल कर हरियाली, सैर हेतु फूलों की क्यारियॉ, फव्वारा, बच्चों के खेलकुद उपकरण में झुला, मेरी गो राऊन्ड, भूल–भूलैया, सी–सॅा फिसलपट्टी लगाने का प्रावधान है।

प्रश्न 30. उद्यान का निर्माण एवं रख–रखाव किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत उद्यान का निर्माण ठेके पर करवाने एवं ठेके में तीन वर्ष तक रख–रखाव का व्यय शामिल कर तीन वर्ष की अवधि की निविदा बुलाई जायेगी।

प्रश्न 31. तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् उद्यान का रख–रखाव किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर :– उद्यान का रख–रखाव तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् स्थानीय निकाय द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न 32. उद्यान में पानी एवं बिजली की क्या व्यवस्था होगी ?

उत्तर :– उद्यान में पानी की व्यवस्था हेतु नलकूप खनन एवं प्रत्येक 50 मीटर पर लाइट लगाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न 33. पुष्प वाटिका उद्यान योजना की उच्चतम लागत सीमा क्या होगी?

उत्तर :– पुष्प वाटिका उद्यान योजना की उच्चतम लागत सीमा 11.05 लाख रु. प्रति हेक्टेयर के मान से स्वीकृत की जायेगी।

प्रश्न 34. पुष्प वाटिका उद्यान योजना का प्रस्ताव किस प्रकार स्वीकृत किया जायेगा ?

उत्तर :– पुष्प वाटिका उद्यान योजना हेतु संबंधित निकाय विधिवत् प्रस्ताव मय प्राक्कलन, पी.आई.सी. संकल्प, तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी प्रतिवेदन, खसरा भू–अभिलेख, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र, के साथ तैयार कर आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा स्वीकृति प्रबंधकारिणी समिति द्वारा दी जायेगी।

प्रश्न 35. पुष्पवाटिका उद्यान योजना की राशि किस प्रकार जारी की जायेगी ?

उत्तर :– पुष्पवाटिका उद्यान योजना पर होने वाले व्यय की 100 प्रतिशत राशि दो समान किश्तों में

राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुदान के रुप में जारी की जायेगी।

प्रश्न 36. अनुदान की द्वितीय किश्त की राशि कब जारी होगी ?

उत्तर :– अनुदान की द्वितीय किश्त की राशि उस स्थिति में जारी की जायेगी, जब नगरीय निकाय ने अपने प्रथम किश्त की राशि व्यय कर दी है।

उन्मुक्त खेल मैदान योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 37. उन्मुक्त खेल मैदान योजना क्या है ?

उत्तर :– शहरी क्षेत्र में तेजी से हो रहे अतिक्रमण से भूमि की कमी तथा बच्चों के खेलकूद हेतु स्थल के अभाव के कारण प्रदेश में अधिकाधिक खेल मैदान निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा ''उन्मुक्त खेल मैदान योजना'' लागू की गई है।

प्रश्न 38. उन्मुक्त खेल मैदान योजना के अंतर्गत कौन–कौन से कार्य किये जायेंगे ?

उत्तर :– उन्मुक्त खेल मैदान योजना के अंतर्गत खेलकूद मैदान का समतलीकरण, खेल मैदान के अनुरुप मिटटी नही तो उसको बदलने, मैदान के चारों ओर पानी निकासी हेतु कच्ची नाली खुदाई कार्य, पिच निर्माण, मैदान में घास लगाना, मैदान के प्रमुख द्वार पर पेवेलियन कम प्रवेश द्वार, दर्शकों के बैठने के लिए सीढियों का निर्माण एवं मैदान की सुरक्षा के लिए चारों ओर बाड़ का निर्माण, मिट्टीक्षरण को रोकने हेतु बाड़ के बाहरी फेस में पीचिंग के साथ टोवाल का निर्माण।

प्रश्न 39. उन्मुक्त खेल मैदान योजना की उच्चतम लागत सीमा क्या होगी ?

उत्तर :– उन्मुक्त खेल मैदान योजना की उच्चतम लागत सीमा 7.50 लाख प्रति हेक्टेयर होगी।

प्रश्न 40. उन्मुक्त खेल मैदान योजना का प्रस्ताव किस प्रकार स्वीकृत किया जायेगा ?

उत्तर :– उन्मुक्त खेल मैदान योजना हेतु संबंधित निकाय का विधिवत् प्रस्ताव मय प्राक्कलन पी.आई.सी. संकल्प, तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी प्रतिवेदन, खसरा, भू–अभिलेख, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र, के साथ तैयार कर आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा स्वीकृति प्रबंधकारिणी समिति द्वारा दी जायेगी।

प्रश्न 41. उन्मुक्त खेल मैदान योजना की राशि किस प्रकार जारी की जायेगी ?

उत्तर :– उन्मुक्त खेल मैदान योजना पर होने वाली व्यय की 100 प्रतिशत राशि दो समान किश्तों में राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुदान के रुप में जारी की जायेगी।

प्रश्न 42. उन्मुक्त खेल मैदान योजना में द्वितीय किश्त की राशि कब जारी होगी ?

उत्तर :– उन्मुक्त खेल मैदान योजना में द्वितीय किश्त की राशि उस स्थिति में जारी की जायेगी, जब नगरीय निकाय द्वारा प्रथम किश्त की राशि व्यय कर दी है।

सरोवर धरोहर योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 43. सरोवर धरोहर योजना क्या है ?

उत्तर :– शहरी क्षेत्रों के तालाबों की साफ–सफाई, गहरीकरण का कार्य, तालाबों के तली पर कचरा जमने के कारण जल स्तर में वृद्धि एवं तालाबों का संग्रहित जल सफाई के अभाव में अत्यंत प्रदूषित होने के कारण निस्तारी योग्य नही रह गया है, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ''सरोवर धरोहर येाजना'' लागू की गई है।

प्रश्न 44. सरोवर धरोहर योजना के अंतर्गत कौन–कौन से कार्य किये जा सकते हैं ?

उत्तर :– सरोवर धरोहर योजना के अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, मेड़ (बंड) का कटाव को रोकने के लिए दीवाल एवं स्टोन पिचिंग एवं सरोवर में कम से कम दो घाट का निर्माण, सरोवर के पार में छायादार वृक्ष तथा लाईट के साथ ही वर्षा ऋतु में तालाब भर जाने पर अतिरिक्त जल निकासी के लिए मुही का निर्माण आदि कार्य करने का प्रावधान है।

प्रश्न 45. सरोवर धरोहर योजना की अधिकतम लागत सीमा क्या होगी ?

उत्तर :– सरोवर धरोहर येाजना की अधिकतम लागत सीमा 9.10 लाख प्रति हेक्टेयर के मान से स्वीकृत की जायेगी।

प्रश्न 46. सरोवर धरोहर योजना की राशि किस प्रकार जारी की जायेगी ?

उत्तर :–	सरोवर धरोहर योजना पर होने वाले व्यय की 100 प्रतिशत राशि दो समान किश्तों राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुदान के रुप में जारी की जायेगी। राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा द्वितीय किश्त की राशि तभी जारी की जायेगी जब नगरीय निकाय ने प्रथम किश्त की राशि व्यय कर दी हो।
प्रश्न 47.	सरोवर धरोहर योजना का प्रस्ताव किस प्रकार स्वीकृत किया जायेगा ?
उत्तर :–	सरोवर धरोहर येाजना हेतु संबंधित निकाय विधिवत प्रस्ताव मय प्राक्कलन पी.आई.सी. संकल्प, तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी प्रतिवेदन, खसरा भू–अभिलेख, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र, के साथ तैयार कर आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा स्वीकृति प्रबंधकारिणी समिति द्वारा दी जायेगी।

गोकुल नगर योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 48. गोकुल नगर योजना का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर :– नगरीय क्षेत्रों में स्थित डेयरियों के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ–साथ नगरों के ट्रैफिक पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इस व्यवस्था के निराकरण हेतु, नगरीय क्षेत्रों की ऐसी समस्त डेयरियों को नगर की सीमा से बाहर आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक स्थानों पर व्यवस्थापित किये जाने, व्यवस्थापन स्थल पर डेयरी संचालन हेतु समस्त मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराया जाना इस येाजना का मुख्य उद्देश्य है।

प्रश्न 49. गोकुल नगर योजना प्रदेश के कितने नगरों में लागू है ?

उत्तर :– गोकुल नगर योजना प्रदेश के 10 निकायों (रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनॉदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी) में ही प्रथम चरण में लागू की गई है।

प्रश्न 50. गोकुल नगर योजना में भूमि का चयन किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर :– गोकुल नगर योजना के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर भूमि का चयन कर एक–ले–आउट तैयार कर योजना नगर तथा ग्राम निवेश के सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर चयनित भूमि पर गोकुल नगर का विकास किया जायेगा।

प्रश्न 51. गोकुल नगर योजना के अंतर्गत मुख्यतः कौन–कौन से कार्य किये जायेंगे ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः सड़क निर्माण, नाली निर्माण, विद्युतीकरण, जल–आपूर्ति, पशुचिकित्सालय व्यवस्था, बायोगैस संयंत्र व्यवस्था इत्यादि कार्य किया जायेगा।

प्रश्न 52. गोकुल नगर योजना के अंतर्गत कितनी भूमि दी जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत डेयरी मालिकों को उनके मवेशियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार भू–खंड का आबंटन किया जायेगा, इसे जिले के कलेक्टर तय करेंगे किन्तु किसी भी डेयरी की स्थापना के लिए डेयरी मालिकों को प्रति पशु 100 वर्गफीट के मान से अधिक भूमि आबंटन नही की जायेगी, साथ ही किसी भी डेयरी मालिक को 10,000 वर्गफीट से अधिक भूमि आबंटित नही की जायेगी।

प्रश्न 53. गोकुल नगर योजना के लिये शासन द्वारा किस प्रकार राशि दी जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के लिए आवश्यक राशि विभाग द्वारा अपने बजट में उपलब्ध विशिष्ट अनुदान / ऋण योजना के अंतर्गत दी जायेगी।

प्रश्न 54. गोकुल नगर योजना के लिये अनुदान एवं ऋण की राशि क्या होगी ?

उत्तर :– इस योजना के लिए शासन द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान एवं 60 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में प्रदान की जायेगी।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 55. ट्रांसपोर्ट नगर योजना का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर :– ट्रांसपोर्ट नगर योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में यातायात एवं परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु भारी वाहनों के नगर के अंदर प्रवेश को रोकना, नगर के घने बसे क्षेत्रों में स्थित ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्यो को शहर के बाहरी सीमा में स्थानांतरित कर योजनाबद्व रुप से विकसित करना ''ट्रांसपोर्ट नगर'' येाजना का प्रमुख उद्देश्य है।

प्रश्न 56. ट्रांसपोर्ट नगर योजना राज्य के कितने शहरों में लागू है ?

उत्तर :– ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रथम चरण में राज्य के 10 नगरीय निकायों में लागू है।

प्रश्न 57. ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूमि का चयन किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर भूमि का चयन कर ले–आउट तैयार किया जायेगा । योजना का अनुमोदन नगर एवं ग्राम निवेश के सक्षम अधिकारी तथा जिला कलेक्टर से प्राप्त किया जायेगा । इस ले–आउट के आधार पर चयनित भूमि पर प्रमोटर द्वारा विकास किया जायेगा।

प्रश्न 58. ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत कौन–कौन सी सुविधा उपलब्ध होगी ?

उत्तर :– ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत मुख्यतः सड़क, नाली, विद्युत एवं जल–आपूर्ति, पेट्रोल पम्प,छोटी–छोटी दुकान, होटल, रेस्टोरेन्ट की व्यवस्था सम्मिलित होगी।

प्रश्न 59. ट्रांसपोर्ट नगर योजना का लाभ किन्हें दिया जायेगा ?

उत्तर :– ट्रांसपोर्ट नगर योजना का लाभ प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित टांसपोर्ट उद्योग में सम्मिलित उद्यमी इस योजना के लाभार्थी होंगें, साथ ही शासन द्वारा संचालित विभिन्न समूह रोजगार योजनाओं के वे हितग्राही जो परिवहन एवं ट्रांसपोर्ट से संबंधित उद्यम एवं दुकानें स्थापित करना चाहते हैं, इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

प्रश्न 60. ट्रांसपोर्ट नगर योजना में नगरीय निकाय को भूमि किस दर से प्राप्त होगी ?

उत्तर :– इस योजना हेतु जिला कलेक्टर द्वारा नगरीय निकायों को आवश्यकतानुसार एक रुपया प्रति वर्गफुट पर भूमि उपलब्ध कराई जायेगी ।

प्रश्न 61. ट्रांसपोर्ट नगर योजना किस प्रावधान पर होगी ?

उत्तर :– यह योजना प्रमोटर बिल्डर्स सिद्वांत पर लागू किये जाने का प्रावधान है, चयनित भू–खंड प्रमोटर को उपलब्ध कराया जाएगा जो कि स्वीकृति के अनुसार बाह्य एवं आंतरिक विकास कर हितग्राहियों से किश्त वसूल कर सकेगा।

प्रश्न 62. ट्रांसपोर्ट नगर योजना हेतु अनुदान एवं ऋण कितना दिया जायेगा ?

उत्तर :–	इस योजना को लागू करने हेतु राज्य शासन द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान एवं 60 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाएगा।

बाबा गुरु घासीदास झुग्गी बस्ती उत्थान योजना पर प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 63. बाबा गुरु घासीदास झुग्गी बस्ती उत्थान योजना क्या है ?

उत्तर :– बाबा गुरु घासीदास झुग्गी बस्ती उत्थान योजना झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में दुषित वातावरण में जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई है।

प्रश्न 64. बाबा गुरु घासीदास झुग्गी बस्ती योजना के अंतर्गत कौन–कौन से कार्य किए जा सकते हैं ?

उत्तर :– बाबा गुरु घासीदास झुग्गी बस्ती योजना के अंतर्गत सड़क / गली निर्माण, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय आदि कार्य किये जायेंगे।

प्रश्न 65. बाबा गुरु घासीदास झुग्गी बस्ती उत्थान योजना के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत की जाती है ?

उत्तर :– बाबा गुरु घासीदास झुग्गी बस्ती उत्थान योजना के अंतर्गत बस्ती में आवास की संख्या के आधार पर रुपये 10,000/– प्रति झुग्गी के मान से राशि उपलब्ध कराई जाती है।

प्रश्न 66. गुरु घासीदास झुग्गी बस्ती उत्थान योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि किस प्रकार प्राप्त की जायेगी ?

उत्तर :– योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

(i) योजना हेतु निकाय के महापौर–परिषद् / अध्यक्ष–परिषद् / परिषद् का संकल्प।

(ii) चयनित बस्ती का निकाय के आधिपत्य में होने के प्रमाण में भू–अभिलेख, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र।

(iii) तकनीकी प्रतिवेदन जिसमें स्थल की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित कार्यो का उल्लेख करते हुए तकनीकी स्वीकृति।

(iv) झुग्गीयों की संख्या, झुग्गी बस्तीयों में आवास की संख्या वचनबद्वता प्रमाण पत्र।

उपरोक्त सभी दस्तावेंजों के साथ आवेदन पत्र तैयार कर आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेंगे । मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखेगा। प्रबंधकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

प्रश्न 67. झुग्गी बस्ती उत्थान योजना पर होने वाली व्यय की कितनी राशि अनुदान के रुप में प्राप्त होगी ?

उत्तर :– झुग्गी बस्ती उत्थान योजना पर होने वाले व्यय की 100 प्रतिशत राशि दो समान किश्तों में राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुदान के रुप में में जारी की जाती है।

प्रश्न 68. झुग्गी बस्ती उत्थान योजना पर होने वाले व्यय की द्वितीय किश्त शासन द्वारा कब जारी की जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत द्वितीय किश्त की राशि जारी करने से पहले राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि नगरीय निकाय ने प्रथम किश्त की राशि

व्यय कर दी या नही। नगरीय निकाय द्वारा प्रथम किश्त की राशि व्यय कर देने के पश्चात् द्वितीय किश्त की राशि जारी की जाती है।

ज्ञानस्थली योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 69. ज्ञानस्थली योजना क्या है ?

उत्तर :– शहरी क्षेत्रों में शासकीय व अर्द्धशासकीय शिक्षण संस्थानों में भवनों के निर्माण, विस्तार का कार्य नहीं होने से शाला भवनों की स्थिति अच्छी नही है। शाला भवनों में चार दिवारी, पेयजल, मुत्रालय की उचित व्यवस्था नही होने से विधार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा ''ज्ञानस्थली योजना'' लागू की गई है।

प्रश्न 70. ज्ञानस्थली योजना के अंतर्गत कौन–कौन से कार्य किये जा सकते हैं ?

उत्तर :– ज्ञानस्थली योजना के अंतर्गत जिन शाला भवनों की छत खपरैल की है, उन शाला भवनों में आर.सी.सी. छत डाली जा सकती है। यदि नींव कमजोर है तो पुनः निर्माण भी किया जा सकता है, तथा आवश्यकतानुसार शौचालयों एवं मुत्रालयों का निर्माण किया जा सकता है।

प्रश्न 71. ज्ञानस्थली योजना में विधार्थियों की संख्या अधिक होने पर क्या अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जा सकता है ?

उत्तर :– हॉ इस योजना के अंतर्गत जिन शाला भवनों में विधार्थियों की संख्या अधिक हो तो उन शाला भवनों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जा सकता है।

प्रश्न 72. ज्ञानस्थली योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जायेगी ?

उत्तर :– ज्ञानस्थली योजना के अंतर्गत उच्चतम सीमा प्राथमिक शाला में रु. 3 लाख, माध्यमिक शाला में रु. 5.00 लाख, उच्चतर माध्यमिक शाला में रु. 7.00 लाख तथा महाविद्यालय के लिए रु. 8.00 लाख के मान से स्वीकृति दी जाती है।

प्रश्न 73. ज्ञानस्थली योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि किस प्रकार प्राप्त की जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

(i) निकाय के महापौर–परिषद् / अध्यक्ष–परिषद / परिषद् का संकल्प।

(ii) भूमि का निकाय के अधिपत्य में होने के प्रमाण में खसरा भू–अभिलेख, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र।

(iii) तकनीकी प्रतिवेदन जिसमें स्थल की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति ।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र तैयार कर आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेंगें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखेंगे। प्रबंध कारिणी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

प्रश्न 74. ज्ञान स्थली योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि किस प्रकार दी जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय की 100 प्रतिशत राशि दो समान किश्तों में राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुदान के रुप में जरी की जायेगी।

प्रश्न 75. ज्ञान स्थली योजना के अंतर्गत अनुदान की द्वितीय किश्त कब प्रदान की जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा अनुदान की द्वितीय किश्त तभी प्रदान की जायेगी जब नगरीय निकाय ने प्रथम किश्त की राशि का उपयोग कर लिया हो । प्रथम किश्त की राशि व्यय कर देने के पश्चात् द्वितीय किश्त की राशि जारी की जाती है।

अटल आवास योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 76. अटल आवास योजना क्या है ?

उत्तर :– अटल आवास योजना झुग्गी बस्तियों को व्यवस्थित करने, अनसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य वर्गो के गरीबी रेखा के आस पास जीवन यापन करने वाले परिवारों की भावी आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विभिन्न कालोनियों में कमजोर वर्गो के लिए आरक्षित भूमि के प्रबंधन के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अटल आवास योजना प्रारंभ की गई है।

प्रश्न 77. अटल आवास योजना में प्रत्येक आवास हेतु कितना भू–खंड दिया जायेगा ?

उत्तर :– अटल आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवासीय इकाई में 300 वर्गफुट (10`x30`) का भू–खंड दिया जायेगा, जिसमें कम से कम 180 वर्गफुट पर निर्माण कार्य किया जायेगा।

प्रश्न 78. अटल आवास योजना में प्रत्येक आवास का मूल्य क्या निर्धारित किया गया है ?

उत्तर :– अटल आवास योजना में सामान्यतः निर्माण कार्य पर रु. 50,000 तथा भू–खंड की कीमत एवं बाहय विकास कार्य हेतु रु. 10,000 प्रति आवास इस तरह एक आवास पर रु. 60,000 निर्धारित किया गया है।

प्रश्न 79. प्रत्येक आवास में शौचालय की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर :– अटल आवास योजना में प्रत्येक आवास में जल–वाहित शौचालय की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न 80. अटल आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवास हेतु अनुदान एवं ऋण की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान तथा शेष 50 प्रतिशत ऋण होगा।

प्रश्न 81. अटल आवास योजना में ऋण की राशि किस रुप में वसूल की जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत ऋण की राशि 10 रु. प्रतिदिन के आधार पर हितग्राहियों से वसूल की जायेगी।

प्रश्न 82. अटल आवास योजना में आवास दिये जाने की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर :– इस योजना में गंदी बस्तियों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा के आस–पास जीवन यापन करते हैं, लक्ष्य हैं। जिनके पास आवास की व्यवस्था नही है, उनके लिये यह योजना तैयार की गई है, इनमें भी प्राथमिकता उन्हें दी जायेगी, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। लक्ष्यों के आबंटन में आरक्षण का पालन किया जायेगा।

प्रश्न 83. अटल आवास आबंटन हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिये आवास आरक्षित करने का क्या प्रावधान है ?

उत्तर :– अटल आवास आबंटन में विकलांग व्यक्तियों के लिये 3 प्रतिशत आवास आरक्षित किया जायेगा, यह आरक्षण वर्ग विशेष के लिये निर्धारित मात्रा के अंदर ही समाहित होगा।

प्रश्न 84. अटल आवास योजना में आवास प्रदान करने का अधिकार किसे है ?

उत्तर :– अटल आवास योजना में आवास का आबंटन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

पं.सुन्दरलाल शर्मा सफाई–कामगार आवास योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 85. पं.सुन्दर लाल शर्मा सफाई–कामगार आवास योजना का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर :– पं. सुन्दर लाल शर्मा सफाई–कामगार आवास योजना नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चालू की गयी है।

प्रश्न 86. सफाई–कामगार आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवास हेतु कितनी भूमि उपलब्ध होगी ?

उत्तर :– इस योजना के अधीन आवास हेतु नगरीय निकायों के स्वयं के 50 वर्गमीटर भू–खंड पर लगभग 40 वर्गमीटर के आवास का निर्माण किया जायेगा, जिसमें दो रहने योग्य कमरे, एक बरामदा एवं एक ऑगन सम्मिलित है।

प्रश्न 87. सफाई–कामगार आवास योजना में प्रत्येक आवास का मूल्य क्या है ?

उत्तर :– सफाई– कामगार आवास योजना में प्रत्येक आवास का मूल्य 1.10 लाख है।

प्रश्न 88. क्या सफाई–कामगार को आवास का पट्टा दिया जायेगा ?

उत्तर :– सफाई–कामगार को वह भू–खंड जिस पर आवास निर्मित होगा 30 वर्षीय पट्टा भी रहने वाले सफाई कामगारों के नाम पर प्रदान किया जायेगा।

प्रश्न 89. सफाई कामगार आवास योजना में आवास का आबंटन सफाई कामगार को कितनी राशि लेकर दिया जायेगा ?

उत्तर :– इस योजना में सफाई कामगार को आवास का आंबटन 10 प्रतिशत मार्जिन मनी प्राप्त कर दिया जायेगा। शेष 90 प्रतिशत राशि 15 वर्षो में समान किश्तों में वसूल की जायेगी।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 90. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है ?

उत्तर :– प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान / चबुतरा उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के उद्‌देश्य से राज्य शासन द्वारा ''मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना'' प्रारंभ की गयी है ।

प्रश्न 91. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग को सम्मिलित किया गया है ?

उत्तर :– मुख्यमंत्री स्वालंबन येाजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में रहने वाले 18 से 40 वर्ष तक के आयु के युवक / युवतियॉ जिनके स्वयं के पास रोजगार का कोई साधन न हो तथा जिनके अभिभावक / पालक की आय एक लाख रुपये प्रति वर्ष से कम हो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।

प्रश्न 92. स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किस आकार की दुकानें प्रदान की जायेगी ?

उत्तर :– स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 8`x10` साइज में छोटी–छोटी पक्की दुकान एवं 6`x6` साइज में शेड सहित चबुतरों का निर्माण कर हितग्राही को दिया जायेगा।

प्रश्न 93. स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकानों की लागत राशि की व्यवस्था किस प्रकार की होगी ?

उत्तर :– स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकानों की लागत की 50 प्रतिशत राशि नगरीय विकास विभाग से

नगरीय निकायों को प्रदान की जायेगी तथा शेष राशि की व्यवस्था नगरीय निकाय को स्वयं करनी होगी।

प्रश्न 94. स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकानों के लिए भूमि किस दर पर उपलब्ध होगी ?

उत्तर :– इस योजना के लिए दुकानों के लिए आवश्यक भूमि योजना के नोडल अधिकारी, जिला कलेक्टर के द्वारा 1 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर पर उपलब्ध कराई जायेगी । निकाय स्वयं की भूमि पर भी योजना बना सकते हैं।

प्रश्न 95. स्वावलंबन योजना के अतंर्गत दुकान/चबूतरा का आबंटन किस के द्वारा किया जायेगा ?

उत्तर :– स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकान/चबूतरा का आबंटन संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 96. मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना क्या है ?

उत्तर :– मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों को जीवन बीमा की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गयी है।

प्रश्न 97. मिनीमाता शहरी निर्धन योजना में प्रति सदस्य कितनी राशि का आबंटन किया जाता है ?

उत्तर :– मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना में प्रति सदस्य 25 रुपये हितग्राही अंशदान, 75 रु. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, 100 रुपये सामाजिक सुरक्षा निधि से वहन किये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न 98. मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना में सदस्य की सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को कितनी राशि प्रदान की जाती है ?

उत्तर :– इस योजना में बीमाधारी सदस्य की सामान्य मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को रु. 20,000 रु. तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50,000/– रु. प्रदान किया जाता है।

प्रश्न 99. मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना में सदस्य की दुर्घटना होने की स्थिति में शरीर का कोई भाग अपंग होने पर क्या प्रावधान है ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में स्थायी रुप से अपंग होने पर रु. 50,000/– तथा दर्घटना

में एक ऑख या एक हाथ पॉव अपंग होने पर रु. 25,000/– प्रदान किए जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्रमवीर कल्याण योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 100. मुख्यमंत्री श्रमवीर कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर :– मुख्यमंत्री श्रमवीर कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य रिक्शा चालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ ही रिक्शे का मालिकाना हक प्रदान कर, उनका संपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है।

प्रश्न 101. मुख्यमंत्री श्रमवीर कल्याण योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किये जायेंगे ?

उत्तर :– मुख्यमंत्री श्रमवीर कल्याण येाजना के अंतर्गत शहरों में स्थल का चयनकर स्टैन्डों में शेड निर्माण, पेयजल, मरम्मत हेतु गुमटी इत्यादि बनाई जाती है । प्रमुख शेड में दाल–भात केन्द्र खोले जायेंगें और 5 रु. में भरपेट दाल भात देने की व्यवस्था होगी।

प्रश्न 102. श्रमवीर कल्याण योजना में श्रमवीरों को कौन–कौन सी सुविधा उपलब्ध की गई है ?

उत्तर :– श्रमवीर कल्याण योजना में श्रमवीरों को पहचान पत्र, स्वास्थ्य परीक्षण तथा चालकों का बीमा, प्रति वर्ष वर्दी की सुविधा दी जाएगी, साथ ही रिक्शा का पंजीयन कर लाइसेन्स प्रदान किया जायेगा।

प्रश्न 103. श्रमवीर कल्याण योजना में प्रति रिक्शा कितनी राशि अनुदान के रुप में दी जायेगी ?

उत्तर :– श्रमवीर कल्याण योजना में प्रति रिक्शा 300 रु. की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

सायकल रिक्शा क्रय करने हेतु अनुदान / ऋण की राशि स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजनांतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न 104. श्रमवीर कल्याण योजना में अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव किस प्रकार तैयार किया जायेगा ?

उत्तर :– श्रमवीर कल्याण योजना में नगरीय निकायों द्वारा प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रेषित किया जायेगा, जिसका परीक्षण करने के बाद राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संबंधित नगरीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा–जन विकास योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 105. श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा–जन विकास योजना क्या है ?

उत्तर :– श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा–जन विकास योजना शहरों में निवासरत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के बेरोजगार युवाओं / महिलाओं का उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्विकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है।

प्रश्न 106. श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना किस वर्ग के लिए लागू की गई है ?

उत्तर :– श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के आस–पास जीवन यापन करने वाले परिवार के शिक्षित / अर्द्वशिक्षित बेरोजगार 18 से 35 वर्ष आयु की महिलाओं एवं पुरुषों का चयन कर, उसे 6 माह के प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन द्वारा उनके कौशल एवं क्षमता में वृद्विकर उन्हें सम्मानजनक जीविकोपार्जन उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न 107. श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना में प्रशिक्षण का भार किसे वहन करना होता है ?

उत्तर :– श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना में प्रशिक्षण का व्यय भार संबंधित नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जाता है।

प्रश्न 108. श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना में प्रशिक्षण हेतु कितनी अनुदान राशि दी जाती है ?

उत्तर :— इस योजना में प्रत्येक महिलाओं / युवाओं को प्रशिक्षण हेतु रु. 3000/— के व्यय के अंतर्गत रु. 2500/— राज्य शासन द्वारा अनुदान के रुप में तथा रु0 500/— संबंधित अशासकीय संगठन द्वारा वहन किया जाता है ।

प्रश्न 109. श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना राज्य में किस अशासकीय संगठन द्वारा संचालित की जा रही है ?

उत्तर :— श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास येाजना राज्य में डॉ. रेड्डी, फाउन्डेशन के माध्यम से संचालित की जा रही है।

दीनदयाल स्वावलंबन योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 110. दीनदयाल स्वावलंबन योजना क्या है ?

उत्तर :– प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में असंगठित रुप में गुमटी, ठेले, एवं फेरी लगाकर जीवन यापन करने वाले परिवारेां के आर्थिक उत्थान हेतु राज्य शासन द्वारा दीनदयाल स्वालबंन योजना लागू की गयी है।

प्रश्न 111. दीनदयाल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किन परिवारों का चयन किया जाता है ?

उत्तर :– दीनदयाल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा या उसके आसपास जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन जिला योजना समिति के द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 112. दीनदयाल स्वावलंबन योजना प्रदेश के कितने नगरीय निकायों में लागू है ?

उत्तर :– दीनदयाल स्वावलंबन योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू है।

प्रश्न 113. दीनदयाल स्वावलंबन योजना में दिये जाने वाले गुमटियों या ठेलों का आकार क्या होगा, क्या इस आकार के बाहर भी निर्माण किया जा सकता है ?

उत्तर :– इस योजना में दिये जाने वाले गुमटियों का आकार 6`x 8` होगा। इस आकार से बाहर अतिक्रमण करने या गुमटी के बाहर स्थाई निर्माण करने पर आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

प्रश्न 114. दीनदयाल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत गुमटियों का लायसेन्स किसके द्वारा प्रदान किया जायेगा एवं कितने माह के लिये दिया जायेगा ?

उत्तर :– दीनदयाल दीनदयाल स्वावलंबन येाजना के अंतर्गत गुमटियों का लायसेन्स नगरीय निकाय के द्वारा दिया जायेगा । लायसेन्स 11 माह के लिये दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष नियमानुसार नवीनीकरण किया जा सकेगा।

प्रश्न 115. दीनदयाल स्वावलबंन योजना के अंतर्गत दिये गये गुमठियों में विद्युत एवं जल की क्या व्यवस्था होगी ?

उत्तर :– दीनदयाल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दिये गये गुमटियों में विधुत की व्यवस्था हितग्राही को स्वयं के व्यय पर करनी होगी । इसके लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा। गुमटियों के समूह के लिये सार्वजनिक नल कनेक्शन प्रदान किया जायेगा एवं हितग्राहियों से वार्षिक समेंकित कर नगरीय निकाय द्वारा वसूल किया जाएगा।

....0 ...

केन्द्र प्रायोजित योजना

वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 116. वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना क्या है ?

उत्तर :– वाल्मिकी अम्बेडक्र आवास योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इस योजना का उद्देश्य शहरी गंदी बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे या उसके आसपास जीवन यापन करने वाले आवासहीन लोगों के लिए रहने योग्य आवासों की उपयुक्त व्यवस्था करना है।

प्रश्न 117. वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना राज्य के कितने शहरों में लागू है ?

उत्तर :– वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना प्रदेश के 9 शहरों में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, भिलाई , राजनांदगॉव, धमतरी, भिलाई–चरौदा एवं रायगढ़ में चालू की गई है।

प्रश्न 118. वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत की जाती है ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से कम आबादी के शहरों के लिए 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्रश्न 119. वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत कितनी राशि अनुदान में दी जाती है ?

उत्तर :– वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में भारत सरकार से उपलब्ध करायी जाती है, तथा 50 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में हुडकों या अन्य

किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न 120. वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास कैसे दिया जाता है ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास प्रदान करने हेतु सूची जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा संबंधित नगरीय निकाय के सहयोग से तैयार की जाती है, जो अनुमोदन हेतु नगरीय निकाय द्वारा जिला स्तरीय समन्वय समिति को प्रेषित की जाती है, हितग्राहियों के चयन में सामुदायिक विकास समिति के परामर्श से, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची से मान्य की जाती है।

प्रश्न 121. क्या हितग्राहियों के चयन में आरक्षण नियम का पालन किया जाता है ?

उत्तर :– हॉ, अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के चयन में आरक्षण नियम का पालन किया जाता है । जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को कम से कम 50 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 30 प्रतिशत, अन्य कमजोर वर्ग को 15 प्रतिशत तथा शारीरिक एवं मानसिक रुप से अयोग्य तथा विकलांग को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

प्रश्न 122. वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले भवन का निर्माण किसके द्वारा किया जायेगा ?

उत्तर :– वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले भवन का निर्माण अशासकीय संगठन

(एन.जी.ओ.) के माध्यम से अथवा ठेकेदार से निर्माण करवाया जायेगा।

प्रश्न123. एन.जी.ओ. का चयन किसके द्वारा किया जायेगा ? क्या एन.जी.ओ. के अतिरिक्त किसी अन्य ठेकेदार से निर्माण कराया जा सकता है ?

उत्तर :– अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले भवन निर्माण में एन.जी.ओ. का चयन राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा, या सीधे निविदा आमंत्रित कर किया जायेगा, जिसका अनुमोदन जिला समन्वय समिति द्वारा किया जायेगा। एन.जी.ओ. के अतिरिक्त किसी अन्य ठेकेदार से भी निर्माण कार्य करवाया जा सकता है।

प्रश्न 124. वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना में मौजूदा आवास में सुधार हेतु कितनी राशि दी जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत मौजूदा आवास में सुधार किये जाने हेतु 20 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है।

प्रश्न 125. वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना में हितग्राही को अपनी पसंद का मकान बनाने की छुट है या नही ?

उत्तर :– हॉ, वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना में हितग्राही को अपनी पसंद का मकान बनाने की पुरी छुट है, ताकी कम लागत में अच्छा टिकाऊ मकान बन सके और हितग्राही को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सके।

प्रश्न 126. वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत बनाये गये मकानों के आबंटन समिति में कौन–कौन होगें ?

उत्तर :– इस योजना में आवास आबंटन हेतु बनायी गई समिति में निम्न सदस्य होगें :–

(i) जिला कलेक्टर – अध्यक्ष

(ii) नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी – सदस्य

(iii) नगरीय निकाय का भवन निर्माण अधिकारी – सदस्य

(iv) सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश – सदस्य

(v) नजूल अधिकारी – सदस्य

(vi) परियोजना अधिकारी (डूडा) सदस्य सचिव

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना से संबंधित प्रश्न—उत्तर

प्रश्न 127. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम क्या है ?

उत्तर :— राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इस योजना के अंतर्गत नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिकाओं में स्थित गंदी बस्तियों में मूलभूत भौतिक एवं सामाजिक सुविधाओं के क्रियान्वयन के लिये लागू है।

प्रश्न 128. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत कौन—कौन से कार्य किये जाते हैं ?

उत्तर :— राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गंदी बस्तियों में जल आपूर्ति व्यवस्था, बरसाती पानी के लिये नाली निर्माण, सामुदायिक स्नान घर, सार्वजनिक शौचालय, गलियों का चौड़ीकरण, सड़कों में प्रकाश व्यवस्था, भूमिगत नाली निर्माण आदि का कार्य किया जाता है।

प्रश्न 129. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत कौन—कौन से कार्य किये जाते हैं ?

उत्तर :— राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के इस घटक के अंतर्गत बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिये सामुदायिक सुविधाएँ जैसे—सामुदायिक भवन, शिक्षा कार्य के लिए भवन, अन्य गतिविधियों के लिये भवन, जैसे — स्वास्थ्य केन्द /उपकेन्द्र/औषधालय, स्वास्थ्य केन्द्र हेतु उपकरणों की व्यवस्था आदि कार्य किये जायेंगे।

प्रश्न 130. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण एवं अनुदान की राशि कितनी होगी ?

उत्तर :– राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 70 प्रतिशत ऋण व 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न 131. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में कार्यो का चयन किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर :– राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में सामुदायिक विकास समिति, पड़ोसी समितियों की सहायता से बस्ती में उपलब्ध आवश्यक सेवाओं का सर्वेक्षण करेगी और समिति द्वारा उन सेवाओं की सूची तैयार की जाएगी जो कि उस क्षेत्र में उपलब्ध नही है या अपर्याप्त है जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, पक्का पहुॅच मार्ग, बरसाती पानी निकालने हेतु निकास नाली, सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था आदि इन आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर दो सूची बनाई जायेगी।

(i) पहली सूची में बुनियादी आवश्यकताओं / सुविधाओं को रखा जायेगा ।

(ii) दूसरी सूची में भौतिक आवश्यकताओं / सुविधाओं को रखा जाएगा ।

सामुदायिक विकास समिति द्वारा बनाई गई सूची के अनुसार ही बस्ती में सुधार और विकास कार्य किये जायेगें ।

प्रश्न 132. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रमों में कार्यो की स्वीकृति किस प्रकार प्राप्त होगी ?

उत्तर :– राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में सामुदायिक विकास समिति से प्राप्त प्रस्तावों के

आधार पर नगरपालिका निगम आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान लिये जाने वाले कार्यो के लिए तकनीकी स्वीकृति नगरपालिका के सक्षम अधिकारी या लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री से प्राप्त करके प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण जिला शहरी विकास अभिकरण भेजेगा । जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कलेक्टर के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 133. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर :– स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, जो बेरोजगार या अल्प रोजगार वाले हैं, स्व–रोजगार उद्यमों की स्थापना के माध्यम से प्रशिक्षण देकर, कहीं नौकरी लायक बनाकर रोजगार प्रदान करना तथा जो लोग स्वयं कोई व्यवसाय नहीं चलाना चाहते उन्हें नगर के विकास कार्यो में मजदूरी के तौर पर रोजगार उपलब्ध कराना है।

प्रश्न 134. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस तरह से कार्य करती है ?

उत्तर :– स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तीन स्तर पर कार्य करती है

1. समुदाय स्तर :– योजना के कियान्वयन में समुदाय स्तर का विशेष महत्व है, इसमें सामुदायिक संगठनों का एक त्रिस्तरीय ढॉचा तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे नीचे पड़ोसी समूह (10 से 40 गरीब परिवारों की महिलाओं का एक अनौपचारिक संगठन), बीच में पड़ोसी समिति (10 पड़ोसी समूहों का एक पंजीकृत संगठन) तथा शीर्ष पर सामुदायिक विकास समिति (10 से 20 पड़ोसी समितियों का एक पंजीकृत संगठन) रहता है।

2. नगर स्तर :– नगर स्तर पर नगरीय निकाय में एक शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ गठित होगा, जिसका प्रभारी मुरव्या नगर पाळिका अधिकारी

होगा । मुरव्या नगर पालिका अधिकारी नगर की समस्त सामुदायिक विकास समितियों एवं इनकी सहायता के लिए नियुक्त सामुदायिक संगठनों में समन्वय स्थापित करेंगें।

3. जिला स्तर :– जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला शहरी विकास अभिकरण गठित है, जिसका मुख्य कार्यकारी जिला परियोजना अधिकारी होगा। जिला परियोजना अधिकारी कलेक्टर के मार्गदर्शन में कार्य करता है।

प्रश्न 135. शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक सहायता कितनी स्वीकृत की जाती है ?

उत्तर :– शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसाय शुरु करने के लिए अधिकतम रु. 50,000/– तक की बैक से ऋण दी जाती है, जिसका 15 प्रतिशत भाग रु. 7500/– अनुदान रहता है।

प्रश्न 136. शहरी स्व–रोजगार योजना के अंतर्गत कितनी प्रतिशत राशि हितग्राही को देना पड़ता है ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 5 प्रतिशत राशि रु. 2500/– हितग्राही को जुटानी पड़ती है और शेष राशि बैंक द्वारा ऋण के रुप में उपलब्ध कराई जाती है।

प्रश्न 137. शहरी स्व–रोजगार योजना में क्या एक से अधिक हितग्राही मिलकर बड़ी परियोजना ले सकते हैं ?

उत्तर :— हॉ, शहरी स्व—रोजगार योजना में एक से अधिक हितग्राही मिलकर बड़ी परियोजना ले सकते हैं।

प्रश्न 138. एक से अधिक हितग्राही की स्थिति में परियोजना लागत कितनी होगी ?

उत्तर :— एक से अधिक हितग्राही की स्थिति में परियोजना लागत रु. 2 50,000/— तक की हो सकती है और इसके लिये 50 प्रतिशत या अधिकतम 1लारव 25हजार अनुदान देय है।

प्रश्न 139. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी आवश्यक होगी ?

उत्तर :— इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए कोई बैंक गारंटी आवश्यक नही है बल्कि बैंक द्वारा ऋण से निर्मित सम्पत्तियों को गिरवी खवाया जाता है।

प्रश्न 140. शहरी स्व—रोजगार योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों की संख्या कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर :— योजना के अंतर्गत किसी वर्ष में निर्धारित लक्ष्य में महिला हितग्राहियों का प्रतिशत 30 से कम नही होना चाहिए।

प्रश्न 141. शहरी स्व—रोजगार योजना में हितग्राहियों के चयन में आरक्षण नियम का क्या पालन किया जाता है ?

उत्तर :— हॉ, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को स्थानीय आबादी

में उनकी संख्या के अनुपात में लाभ दिया जाना अपेक्षित है।

प्रश्न 142. शहरी स्व–रोजगार योजना में विकलांग व्यक्तियों को क्या आरक्षण दिया गया है ?

उत्तर :– हॉ, योजना में विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

प्रश्न 143. महिला समूहों का उद्यम / व्यवसाय क्या है ?

उत्तर :– इस योजना में ऐसी शहरी गरीब महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, जो सम्मिलित रुप में स्व–रोजगार का कोई उद्यम स्थापित करने का निर्णय ले, जो उनके कौशल, प्रशिक्षण अभिरुचि और स्थानीय स्थिति के अनुकूल हो।

प्रश्न 144. महिला समूहों के उद्यम में कम से कम कितनी महिलायें होनी चाहिये ?

उत्तर :– महिला समूहों के उद्यम या व्यवसाय में कम से कम 10 महिलाऍं होनी चाहिये।

प्रश्न 145. महिला समूहों को अनुदान के रुप में कितनी राशि प्रदान की जाती है ?

उत्तर :– इस योजना में महिला समूहों को अनुदान के तौर पर रु. 1,25,000/– तक की राशि या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो प्राप्त करने की पात्रता है।

प्रश्न 146. महिला समूहों में समूह की सदस्य महिलाओं को कितनी लागत लगानी होगी और कितनी राशि ऋण के रुप में प्राप्त होगी ?

उत्तर :— समूह की सदस्य महिलाओं को परियोजना लागत की 5 प्रतिशत राशि लगानी होगी और शेष 45 प्रतिशत राशि ऋण बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रश्न 147. बचत एवं साख समूह में बचत कैसे की जायेगी ?

उत्तर :— बचत एवं साख समूह में बचत साप्ताहिक, मासिक हो सकती है किन्तु नियमित नही होनी चाहिये।

प्रश्न 148. बचत एवं साख समूह में बचत की न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिये ?

उत्तर :— बचत एवं साख समूह में बचत की न्यूनतम राशि कितनी हो यह समूह के सदस्य तय करते है, अधिकांशतः समूह के सदस्य 25 रुपये से 50 रु. प्रति माह रखे हैं।

प्रश्न 149. बचत एवं साख समूह का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर :— बचत एवं साख समूह का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उनकी जरुरतों की पूर्ति के लिये तथा आमदनी बढ़ाने हेतु छोटे—छोटे व्यवसाय शुरु करने के लिए ऋण सुलभ कराना है ।

प्रश्न 150. बचत एवं साख समूह के सदस्य को अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है ?

उत्तर :— इस योजना के अंतर्गत सामान्यतया सदस्य के खातें में जमा राशि का तीन गुना राशि तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है, ऋण पर ब्याज

दर और आमदानी की किश्तें भी समूह द्वारा तय की जायेगी।

प्रश्न 151. बचत एवं साख समूह में खाते का संचालन किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत खाते का संचालन समिति के अध्यक्ष और एक अन्य अधिकृत सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

प्रश्न 152. बचत एवं साख समूह को शासकीय सहायता कितने वर्ष बाद, कितनी राशि दी जायेगी ?

उत्तर :– इस योजना में ऐसे बचत एवं साख समूह जो एक वर्ष से कार्य कर रहे हैं, शासन द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से रुपये 1000 प्रति सदस्य के मान से अधिकतम 25,000/– रु. तक की राशि प्रदान की जायेगी।

प्रश्न 153. बचत एवं साख समूह को दी गई शासकीय सहायता अनुदान होगी या ऋण ?

उत्तर :– इस योजना में बचत एवं साख समूह को दी गई सहायता अनुदान होगी।

प्रश्न 154. बचत एवं साख समूहों को क्या कोई और अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा, और किस तरह ?

उत्तर :– हॉ, इस योजना के अंतर्गत यदि समूह की कोई सदस्य 12 महीने के लिए सावधि जमा योजना में कम से कम रु. 500/– बचाती है तो वह अतिरिक्त तौर पर रु. 30/– का अनुदान प्राप्त करने की हकदार हो जाती है। इस प्रकार यदि

कोई सदस्य 12 महीने के लिये सावधि योजना में कम से कम रु. 750/— बचाती है तो वह रु. 60/— का अनुदान प्राप्त करने की हकदार हो जाती है।

प्रश्न 155. समूह की सदस्य को अतिरिक्त अनुदान की राशि नगद दी जायेगी या किसी अन्य रुप में ?

उत्तर :— समूह की सदस्य को अतिरिक्त अनुदान की राशि रु. 30/— प्राप्त करने की स्थिति में नगद न दी जाकर उसके पक्ष में स्वास्थ्य / जीवन / दुर्धटना या कोई अन्य बीमा योजना की किश्त के भुगतान के लिए तथा रु. 60/— प्राप्त करने की स्थिति में रु. 30/— उसके स्वयं के लिये और रु. 30/— उसके पति या नाबालिक पुत्री के स्वास्थ्य / जीवन / दुर्घटना आदि के बीमा के किश्त भुगतान के लिये दिया जाता है। अनुदान की यह राशि आवर्ती निधि से दी जायेगी।

शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 156. शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में परिवर्तन का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर :– भारत सरकार की सर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने की नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 74 वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध शुल्क शौचालय को जल वाहित शौचालय में परिवर्तन करने की कार्य योजना प्रारंभ की गई है ताकि शौचालयों से आसपास का वातावरण प्रदुषित ना हो और बीमारियॉ फैलने का खतरा ना हो।

प्रश्न157. शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में बदलने के लिए शासन द्वारा अनुमानित लागत कितनी है ?

उत्तर :– एक शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में बदलने के लिये वर्तमान समय में अनुमानित लागत रुपये 3245/– है।

प्रश्न 158. जलवाहित शौचालय में बदलने के लिये शासन द्वारा कितनी राशि अनुदान के रुप और कितनी राशि ऋण के रुप में दी जायेगी ?

उत्तर :– शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में बदलने के लिए शासन द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण शेष 5 प्रतिशत हितग्राही अंशदान सम्मिलित है । अल्प आय वर्ग के लिए 25 प्रतिशत अनुदान और 60 प्रतिशत ऋण शेष 15 प्रतिशत हितग्राही अंशदान सम्मिलित है

तथा मध्यम आय वर्ग के लिए 75 प्रतिशत ऋण शेष 25 प्रतिशत हितग्राही अंशदान सम्मिलित है।

प्रश्न 159. इस योजना के अंतर्गत क्या गरीब व्यक्ति के घर में नये शौचालय बनाये जा सकते हैं ?

उत्तर :– हॉ, इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के ऐसे गरीब व्यक्तियों के प्रत्येक घर में जहॉ शौचालय नही हैं, नये शौचालय का निर्माण किया जा सकता है।

प्रश्न160. शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में बदलने का कार्य किसका होगा एवं किस तरह से होगा ?

उत्तर :– इस योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर कार्य का दायित्व नगरीय निकायों का है। नगरीय निकाय द्वारा नगर में शुष्क शौचालयों का सर्वेक्षण करने के पश्चात् एक रुपरेखा तैयार की जायेगी, जिसमें परिवर्तित किये जाने वाले शौचालयों की संख्या और इस कार्य के लिये आवश्यक ऋण और अनुदान का ब्यौरा होगा। निकाय द्वारा तैयार कि गयी रुपरेखा स्वीकृति के लिए संचालनालय नगरीय नियोजन एवं विकास के माध्यम से ''हुडको'' को भेजा जाएगा। योजना के लिए निकाय को शासन द्वारा अनुदान और हुडको द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।

प्रश्न 161. हुडको से प्राप्त ऋण का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर :– शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में बदलने के लिए हुडको से प्राप्त ऋण का

भुगतान, संचालनालय द्वारा संबंधित नगरीय निकाय को दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से समायोजित करके किया जायेगा।

राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना से संबधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 162. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर :– राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना नगरीय क्षेत्र के उन गर्भवती महिलाओं को जिनकी आयु 19 वर्ष से अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं, उनके मातृत्व कल्याण के लिये दी जाती है।

प्रश्न 163. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है ?

उत्तर :– राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत 500 रुपये तक की सहायता राशि दी जायेगी।

प्रश्न164. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता कितने बच्चों के जन्म तक दी जाती है ?

उत्तर :– राष्टीय मातृत्व सहायता केवल प्रथम दो जीवित बच्चों के जन्म तक ही देय होगी तथा यह प्रसव के 4 से 8 सप्ताह पूर्व एकमुश्त दी जायेगी।

प्रश्न 165. मातृत्व सहायता की राशि नगद दी जायेगी या किसी अन्य रुप में ?

उत्तर :– मातृत्व सहायता की राशि सामान्यतः बैंक / पोस्ट आफिस में खाता खोलकर अथवा मनीआर्डर से दी जाएगी।

प्रश्न 166. मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अन्य और कोई सुविधा दी जायेगी या नही ?

उत्तर :– मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य संबंधी अन्य सुविधायें जैसे प्रसव के पूर्व कम से कम तीन बार स्वास्थ्य जॉच तथा टिटनेस के दो टीके लगाना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जन्म के समय बच्चे को पोलियों की खुराक तथा बी.सी.जी. का टीका एवं टीकाकरण तालिका के अनुसार शिशु को पूर्ण रुप से निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न 167. मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन किसे देना होगा ?

उत्तर :– मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदक को अपने नगरीय निकाय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र का फार्म नगरीय निकाय अथवा महिला बाल विकास विभाग की ऑगनबाडी कार्यकर्ता से प्राप्त किया जा सकता है।

....0 ...